

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY,
PART II, SECTION 3, SUB SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Notification

New Delhi, 10th June, 2016.

G.S.R (E)..... -In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 79 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Limited Liability Partnership Rules, 2009 namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Limited Liability Partnership (Second Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Limited Liability Partnership Rules, 2009,-

(a) in Form 2,-

(I) in Part A, in serial number 12, in item (i), for sub-item (ii), the following shall be substituted, namely:-

“(ii) Name of nominee ”;

(II) in Part B, under the heading 'Addendum to Form 2', in serial number 6, in item (i), for sub-item (ii), the following shall be substituted, namely:-

“(ii) Name of nominee ”.

(b) In Form 3,-

(I) in part A, in serial number 7, in item (ii) for the Table, the following shall be substituted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7	8
“SI No.	DPIN/ Income tax PAN/ Passport number	Name of Partner	Name of Nominee in case of body corporate	Designati on (Partner/ Designate d Partner)	Form of Contrib ution	Moneta ry Value of Contrib ution	% of profit sharing”;

--	--	--	--	--	--	--	--

(II) in part B, for serial number 21-

(A), in item (a), for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7	8
"Type of change	DPIN/ Income tax PAN/ Passport number	Name of Partner	Name of Nominee in case of body corporate	Designation (Partner/ Designated Partner)	Form of Contribution	Monetary Value of Contribution	% of profit sharing";
O Deletion O change O no change				O DP O P			

(B) in item (b), for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
"Type of change	DPIN/ Income tax PAN/ Passport number	Name of Partner	Name of Nominee in case of body corporate	Form of Contribution	Monetary Value of Contribution	% of profit sharing" ;
O DP O P						

(c) (a) in Form 4,-

(a) in serial number 7, in item (i), for sub-item (ii), the following shall be substituted, namely:-

“(ii) Name of nominee ”;

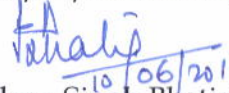
(b) under the heading ‘Addendum to Form 4’, in serial number 6, in item (i), for sub-item (ii), the following shall be substituted, namely:-

“(ii) Name of nominee ”.

(d) In Form 11, in serial number 13, in item (ii), for the table, the following shall be substituted, namely:-

1	2	3	4	5	6
“DPIN/ Income tax PAN/ Passport number	Name of Partner/ Designate d Partner	Name of Nominee in case of body corporate	Section number	Offence	Penalty imposed” ;

[F. No. 17/31/2015-CL-V]


(Amardeep Singh Bhatia)

Joint Secretary to Govt. of India

FootNote- The principal rules were published in the Gazette of India, Part II section 3, sub-section (i) vide GSR No 229(E) dated 1st April, 2009 and subsequently amended by GSR No 385(E) and 386(E) dated 4th June, 2009, GSR No 6(E) dated 6th January, 2010, GSR 24(E) dated 11th January, 2010, GSR 914(E) dated 15th November, 2010, GSR 506(E) dated 5th July, 2011, GSR 680(E) dated 14th September, 2011, GSR 796(E) dated 4th November, 2011, GSR 430(E) dated 5th June, 2012, GSR 485(E) dated 21st June, 2012, GSR 692(E) dated 14th September, 2012 and GSR 333(E) dated 29th April, 2015, GSR 785 (E) dated 15th October, 2015, GSR 418 (E) dated 13th April, 2016.

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2016

सा.का.नि. (अ) केंद्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 79 की उपधारा (1) और (2) उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमित दायित्व भागीदारी (द्वितीय संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के -

(क) प्ररूप 2 में -

(i) भाग क में क्रम संख्या 12 के मद (i) के उप मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्-
“(iii) नामनिर्देशिती का नाम”;

(ii) भाग ख में क्रम संख्या 6, के मद (झ) के उपमद (ii) में ‘प्ररूप 2 के लिए युक्तिका’ शीर्षक के अधीन निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-
“नामनिर्देशिती का नाम”

(ख) प्ररूप 3 में -

(i) भाग क में क्रम संख्या 7 के मद (ii) में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

1	2	3	4	5	6	7	8
“क्र.सं.	डीपीआईएन/आयकर/पैन/पासपोर्ट संख्या	भागीदार का नाम	कारपोरेट निकाय की दशा में नामनिर्देशिती	पदनाम (भागीदार/नाम निर्दिष्ट भागीदार)	अंशदा न का प्ररूप	अंशदान का आर्थिक मूल्य	लाभ साझा करने का प्रतिशत”;

			का नाम				

(II) भाग ख में क्रम संख्या 21 -

(क) मद (क) में सारणी के स्थान पर को निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, यथा:-

1	2	3	4	5	6	7	8
बदलाव का प्रकार	डीपीआईएन/आयकर/पैन/पासपोर्ट संख्या	भागीदार का नाम	कारपोरेट निकाय की दशा में नामनिर्देशिती का नाम	पदनाम (भागीदार/नामनिर्देशिती भागीदार)	अंशदान का प्ररूप	अंशदान का आर्थिक मूल्य	लाभ साझा करने का प्रतिशत";
• विलोपन • बदलाव • कोई बदलाव नहीं				• नामनिर्दिष्ट भागीदार • भागीदार			

(ख) मद (ख) में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

1	2	3	4	5	6	7
"बदलाव का प्रकार	डीपीआईएन/आयकर/पैन/पासपोर्ट संख्या	भागीदार का नाम	कारपोरेट निकाय की दशा में नामनिर्देशिती	अंशदान का प्ररूप	अंशदान का आर्थिक मूल्य	लाभ साझा करने का प्रतिशत";
• नामनिर्दिष्ट भागीदार • भागीदार						

(ग)(क) प्ररूप 4 में, -

(क) क्रम संख्या 7 के मद (i) के उप मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

(ii) "नामनिर्देशिती का नाम";

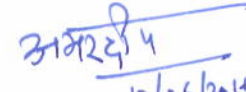
(ख) क्रम संख्या 6 के मद (i) के उप मद (ii) में 'प्ररूप 4 के लिए युक्तिका' शीर्षक के अधीन निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) नामनिर्देशिती का नाम"

(घ) प्ररूप 11 में क्रम संख्या 13 के मद (ii), में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

1	2	3	4	5	6
"डीपीआईएन/ आयकर/पैन/ पासपोर्ट संख्या	भागीदार /नामनिर्दिष्ट भागीदार का नाम	कारपोरेट निकाय की दशा में नामनिर्देशिती का नाम	धारा संख्या	अपराध	अधिरोपित शक्ति";

[फाइल सं. 17/31/2015-सीएल.V]


(अमरदीप सिंह भाटिया)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

पाद टिप्पणी: मूल नियमों को सा.का.नि. सं. 229 (अ) दिनांक 1 अप्रैल, 2009 द्वारा भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया और बाद में सा.का.नि. सं. 385(अ) और 386 (अ) दिनांक 4 जून, 2009, सा.का.नि. संख्या 6(अ) दिनांक 6 जनवरी, 2010, सा.का.नि. सं. 24 (अ) दिनांक 11 जनवरी, 2010, सा.का.नि. 914 (अ) दिनांक 15 नवंबर, 2010, सा.का.नि. सं. 506 (अ) दिनांक 5 जुलाई, 2011, सा.का.नि. सं. 680(अ) तक 14 सितंबर, 2011, सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 4 नवंबर, 2011, सा.का.नि. 430 (अ) दिनांक 5 जून, 2012, सा.का.नि. 485(अ) दिनांक 21 जून, 2012, सा.का.नि. 692 (अ) दिनांक 14 सितंबर, 2012, और सा.का.नि. 333(अ) दिनांक 29 अप्रैल, 2015, सा.का.नि. 785 (अ) दिनांक 15 अक्टूबर, 2015, सा.का.नि. 418(अ) दिनांक 13 अप्रैल, 2016 के द्वारा संशोधित किया गया।